THE SCHEDULE

[*See section 8 (2)*]

1. In this Schedule, reference to a "tariff item", "heading", "sub-heading" and "Chapter", wherever they occur, shall mean respectively a tariff item, heading, sub-heading and Chapter in the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975).

2. The rules for the interpretation of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), the section and Chapter Notes and the General Explanatory Notes of the First Schedule shall, so far as may be, apply to the interpretation of this Schedule.

Sl. No.	Description of supply of goods or services	Tariff item, heading, sub-heading, Chapter, or supply of goods or services, as the case may be	The maximum rate at which goods and services tax compensation cess may be collected
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**
1.	**Pan Masala.**	**2106 90 20**	**[1][fifty-one percent of retail sale price per unit]**
2.	**Tobacco and manufactured tobacco substitutes, including tobacco products.**	**24**	**[2][Four thousand one hundred and seventy rupees per thousand sticks or two hundred and ninety per cent. *ad valorem* or a combination thereof, but not exceeding four thousand one hundred and seventy rupees per thousand sticks plus two hundred**

1 Substituted for "One hundred and thirty-five per cent. *ad valorem*." by The Finance Act, 2023. It is made effective from 01-04-2023 by Noti. No. 1/2023-Compensation Cess, dt. 31-03-2023.

2 Substituted for "Four thousand one hundred and seventy rupees per thousand sticks or two hundred and ninety per cent. ad valorem or a combination thereof, but not exceeding four thousand one hundred and seventy rupees per thousand sticks plus two hundred and ninety per cent. *ad valorem*." by The Finance Act, 2023. It is made effective from 01-04-2023 by Noti. No. 1/2023-Compensation Cess, dt. 31-03-2023.

			and ninety per cent. *ad valorem* or hundred percent of retail sale price per unit]
3.	**Coal, briquettes, provides and similar solid fuels manufactured from coal, lignite, whether or not agglomerated, excluding jet, peat (including peat litter), whether or not agglomerated.**	**2701, 2702 or 2703**	**Four hundred rupees per tonne.**
4.	**Aerated waters.**	**2202 10 10**	**Fifteen per cent. ad valorem.**
[3]**[4A**	**Motor vehicles for the transport of not more than thirteen persons, including the driver.**	**8702 10, 8702 20, 8702 30 or 8702 90**	**Twenty-five per cent. ad valorem.]**
5.	**Motor cars and other motor vehicles principally designed for the transport of persons (other than motor vehicles for the transport of ten or more persons, including the driver), including station wagons and racing cars.**	**8703**	[4]**[Twenty-five per cent. ad valorem]**

3 Point 4A inserted by Goods and Services Tax (Compensation to States) Amendment Act, 2017 (No. 9 of 2018) w.e.f. 02-09-2017.

4 Substituted for "Fifteen per cent. *ad valorem*." by Goods and Services Tax (Compensation to States) Amendment Act, 2017 (No. 9 of 2018) w.e.f. 02-09-2017.

6.	**Any other supplies.**		**Fifteen per cent. ad valorem.**

[5]**[Explanation**- For the purposes of this Schedule,-

(i) "retail sale price" means the maximum price at which the concerned goods in packaged form may be sold to the ultimate consumer and includes all taxes, local or otherwise, freight, transport charges, commission payable to dealers, and all charges towards advertisement, delivery, packing, forwarding and the like and the price is the sole consideration for such sale:

Provided that where the provisions of the Legal Metrology Act, 2009 or the rules made thereunder or any other law for the time being in force require to declare on the package, the retail sale price excluding any taxes, local or otherwise, the retail sale price shall be construed accordingly;

(ii) where on the package of any concerned goods more than one retail sale price is declared, the maximum of such retail sale prices shall be deemed to be the retail sale price;

(iii) where the retail sale price, declared on the package of any concerned goods at the time of its clearance from the place of manufacture, is altered to increase the retail sale price, such altered retail sale price shall be deemed to be the retail sale price;

(iv) where different retail sale prices are declared on different packages for the sale of any concerned goods in packaged form in different areas, each such retail sale price shall be the retail sale price for the purposes of determination of the rate of cess for the said good intended to be sold in the area to which the retail sale price relates.**]**

---

5 Explanation inserted by Goods and Services Tax (Compensation to States) Amendment Act, 2017 (No. 9 of 2018) w.e.f. 02-09-2017.

अनुसूची
[धारा 8(2) देखिए]

1. इस अनुसूची में ''टैरिफ मद'', ''शीर्ष'', ''उपशीर्ष'' और ''अध्याय'' के प्रतिनिर्देश, जहां–जहां वे आते हैं का वही अर्थ होगा जो सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की पहली अनुसूची में टैरिफ मद, शीर्ष, उपशीर्ष और अध्याय में क्रमशः उनका है।

2. सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की पहली अनुसूची के निर्वचन के लिए, नियम, भाग और अध्याय टिप्पण तथा पहली अनुसूची के साधारण स्पष्टीकारक टिप्पण, जहां तक हो सकें, इस अनुसूची के निर्वचन के लिए लागू होंगे,–

क्र.स.	माल या सेवाओं की पूर्ति का वर्णन	टैरिफ मद, शीर्ष, उपशीर्ष, अध्याय या यथास्थिति, माल या सेवाओं की पूर्ति	वह अधिकतम दर जिस पर माल और सेवा कर प्रतिकर उपकर संगृहीत किया जा सकेगा
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	पान मसाला।	2106 90 20	[1][खुदरा विक्रय मूल्य का इक्यावन प्रतिशत]।
2.	तम्बाकू और विनिर्मित तम्बाकु अनुकल्प, जिसके अन्तर्गत तम्बाकु उत्पाद भी है।	24	[2][चार हजार एक सौ सत्तर रूपए प्रति हजार यष्टि या मूल्यानुसार दो सौ नब्बे प्रतिशत् या उसका समुच्चय, परंतु चार हजार एक सौ सत्तर रूपए प्रति हजार यष्टि जमा मूल्यानुसार दो सौ नब्बे प्रतिशत् या खुदरा विक्रय कीमत के सौ

1 वित्त अधिनियम, 2023 (2023 का 8) द्वारा ''एक सौ पैंतीस प्रतिशत मूल्यानुसार'' के स्थान पर प्रतिस्थापित। यह संशोधन दिनांक 01.04.2023 से प्रभावशील किया गया।

2 वित्त अधिनियम, 2023 (2023 का 8) द्वारा ''चार हजार एक सौ सत्तर रूपए प्रति हजार यष्टि या मूल्यानुसार दो सौ नब्बे प्रतिशत् या उसका समुच्चय, किन्तु मूल्यानुसार चार हजार एक सौ सत्तर रूपए प्रति हजार यष्टि जमा दो सौ नब्बे प्रतिशत् से अधिक नहीं'' के स्थान पर प्रतिस्थापित। यह संशोधन दिनांक 01.04.2023 से प्रभावशील किया गया।

			प्रतिशत से अधिक नहीं।
3.	कोयला, इष्टिकाओं, अण्डाभों और कोयला, लिग्नाइट, चाहे संपिण्डित है या नहीं, जिसके अन्तर्गत जैट नहीं है, पीट (जिसके अन्तर्गत पीट तृणशैय्या भी है) चाहे संपिण्डित है या नहीं, से विनिर्मित वैसे ही ठोस ईंधन।	2701, 2702 या 2703	चार सौ रूपए प्रति टन।
4.	वातित जल।	2202 10 10	मूल्यानुसार पंद्रह प्रतिशत।
[3][4क.	चालक सहित तेरह से अनधिक व्यक्तियों के परिवहन के लिए मोटर यान।	8702 10, 8702 20, 8702 30 या 8702 90	मूल्यानुसार पच्चीस प्रतिशत्।]
5.	व्यक्तियों के परिवहन के लिए प्रमुखतः अभिकल्पित मोटर कार और अन्य मोटर यान (चालक सहित दस या अधिक व्यक्तियों के परिवहन के लिए मोटर से भिन्न), जिसके अंन्तर्गत स्टेशन वैगन और दौड़ प्रतियोगित वाली कार भी हैं।	8703	[4][मूल्यानुसार पच्चीस प्रतिशत्]।

3 अनुक्रमांक 4क माल और सेवा कर (राज्यों को प्रतिकर) संशोधन अधिनियम, 2017 (2018 का क. 9) द्वारा अंतःस्थापित (प्रभावशील दिनांक 02.09.2017)।

4 माल और सेवा कर (राज्यों को प्रतिकर) संशोधन अधिनियम, 2017 (2018 का क. 9) द्वारा ''मूल्यानुसार पंद्रह प्रतिशत'' के स्थान पर प्रतिस्थापित (प्रभावशील दिनांक 02.09.2017)।

6.	**कोई अन्य पूर्ति।**		**मूल्यानुसार पंद्रह प्रतिशत्।**

[5]**[स्पष्टीकरण**–इस अनुसूची के प्रयोजनों के लिए,–

(i) ''खुदरा विक्रय कीमत'' से वह अधिकतम विक्रय कीमत अभिप्रेत है, जिस पर पैक की गई अवस्था में संबध्द माल को अंतिम उपभोक्ता को विक्रय किया जा सके और उसमें सभी कर, स्थानिय या अन्यथा, भाड़ा, परिवहन प्रभार, व्यौहारों का संदेय कमीशन, और विज्ञापन, परिदान, पैक करने, अग्रेषित करने के लिए अझर ऐसे समान सभी प्रभार सम्मिलित हैं तथा ऐसे विक्रय के लिए कीमत एकमात्र प्रतिफल है :

परंतु विधिक मापविज्ञान अधिनियम, 2009 के उपबंधों या उसके अधीन या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधी के अधीन बनाए गए नियमों की दशा में पैकेज के उपर किन्हीं करों, स्थानिय या अन्यथा को छोड़कर, खुदरा विक्रय कीमत घोषित करना अपेक्षित हो, खुदरा विक्रय कीमत का तदनुसार अर्थ लगाया जाएगा;

(ii) जहां किसी संबध्द माल के पैकेज पर एक से अधिक खुदरा विक्रय कीमत घोषित की जाती है, ऐसी खुदरा विक्रय कीमतों के अधिकतम को, खुदरा विक्रय कीमत समझा जाएगा;

(iii) जहां किसी संबध्द माल के पैकेज पर विनिर्माण स्थल से उसकी निकासी के समय घोषित खुदरा विक्रय कीमत को, खुदरा विक्रय कीमत समझा जाएगा;

(iv) जहां विभिन्नत क्षेत्रों में पैक की गई अवस्था में किसी संबध्द माल के विक्रय के लिए भिन्न–भिन्न पैकेजों पर भिन्न–भिन्न खुदरा विक्रय कीमत घोषित की जाती है, प्रत्येक ऐसी खुदरा विक्रय कीमत, उस क्षेत्र, जिससे खुदरा विक्रय कीमत संबध्द है, में विक्रय किए जाने के लिए आशयित उक्त माल के लिए उपकर की दर के अवधारण के प्रयांजनों के लिए खुदरा विक्रय कीमत समझी जाएगी।**]**

---

5 वित्त अधिनियम, 2023 (2023 का 8) द्वारा स्पष्टीकरण अंतःस्थापित। यह संशोधन दिनांक 01.04.2023 से प्रभावशील किया गया।